पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/884/2012......892....../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार सिंह
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार

पटना, दिनांक-......28/10......./2014.

विषय - रू0 200.00 लाख (दो सौ लाख) से कम की निविदाओं में न्यूनतम अधिसीमा निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग- पथ निर्माण विभाग का पत्रांक प्र0 6/द0 बि0 नियम 03/08/06 (अंश)-1260(S) दिनांक 13.02.2014, जल संसाधन विभाग का पत्रांक- 1/पी.एम.सी./विविध/623/2003-पार्ट-I-249 दिनांक 14.03.2014 एवं पथ निर्माण विभाग का पत्रांक प्र06/द0बि0-नियम-03-08/2006(अंश)-2046(S) दिनांक 06.03.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2046 दिनांक 06.03.2014 द्वारा प्रतिशत दर (In percentage rate tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की गई एवं 10% से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदाएँ अमान्य माने जाने का प्रवधान लागू किया गया है। इस पत्र में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 1260(S) दिनांक 13.02.2014 के संदर्भ में कुछ नहीं लिखा गया, जिसके चलते उत्पन्न भ्रम की स्थिति में पथ निर्माण विभाग से इस संबंध में परामर्श प्राप्त किया गया। पथ निर्माण विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2046(S) दिनांक 06.03.2014 में निहित प्रवधान के आलोक में F2 एकरारनामा के कार्य से संबंधित पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-1260(S) दिनांक 13.02.2014 को जारी रखना उचित नहीं है एवं उक्त परिपत्र के साथ-साथ पूर्व में निर्गत अन्य सभी परिपत्रो (यदि कोई हो तो) का संसोधन अपेक्षित है ।

पथ निर्माण विभाग से प्राप्त मन्तव्य के आलोक में रू0 200.00 लाख (दो सौ लाख) से कम लागत (अर्थात् नन एस.बी.डी./F2 एकरारनामा) से संबंधित निविदाओ में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2046(S) दिनांक 06.03.2014 की कन्डिका-4 के आलोक में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम अथवा 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदाएँ

अमान्य किये जाने का प्रावधान जल संसाधन विभाग के पत्रांक-293 दिनांक 27.03.2014 में निहित प्रावधान के साथ लागू रहेगा ।

यह आदेश इस पत्र की निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा एवं इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र इस हद तक संशोधित माने जायेगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 892 /पटना, दिनांक- 28/10 /2014.

प्रतिलिपि सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ उप सचिव, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, पटना/ अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2- प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अधिष्ठापित करने हेतु प्रेषित ।

सुशील कुमार 28/10/14

(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)